C.W.J.C NO.-9494/2016 श्री भरत प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश के अनुपालन में पटना शहर अन्तर्गत पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को मुख्य पथों से जोड़ने के सम्बन्ध में आज दिनांक–15.03.2017 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में विमर्शित विन्दुओं का सारांशित विवरण एवं कार्यवाही –

(उपस्थिति संलग्न)

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी आगन्तुकों का स्वागत किया गया एवं पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को मुख्य पथों से जोड़ने के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति एवं पटना महायोजना, 2031 में किये गये प्रावधानों तथा रेलवे लाईन के पूरब एवं पश्चिमी भाग में 27 मीटर चौड़ी सड़कों के प्रस्ताव से अवगत कराया गया।

(2) पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से Connecting Roads को दर्शाते हुए पथ निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये Road Network का नक्शा (छायाप्रति संलग्न) में बेली रोड से पाटलीपुत्र स्टेशन के तरफ दो आवासीय भवन, जो इस पथ की चौड़ाई में बाधक है, के वस्तुस्थिति से अवगत कराने का अनुरोध संबंधित पक्षों से किया गया। इस क्रम में रेलवे के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि भूमि विवादित होने के कारण मामला लम्बित है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी पटना से जानकारी प्राप्त कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने का निदेश प्रधान सचिव के द्वारा दिया गया।

(3) विभागीय पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्र भ्रमण के आधार पर बताया गया कि आशियाना–दीघा रोड से पाटलीपुत्र स्टेशन को जोड़ने के लिए रामनगरी मोड़ से आशियाना फेज–4 तक Right of Way की लगभग चौड़ाई 60 फीट है, जिस पर करीब 20 से 25 फीट चौड़ी पी.सी.सी. सड़क का निर्माण किया हुआ है। आशियाना फेज–4 से आगे पाटलिपुत्र स्टेशन तक सड़क की चौड़ाई, इसके कुछ अंश में 12 फीट, 16 फीट एवं 20 फीट है। भूमि की उपलब्धता के आधार पर इन सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा पटना नगर निगम को दिया गया। पाटलिपुत्र स्टेशन की ओर इन सड़कों से जुड़े, बिहार राज्य आवास बोर्ड की सड़कों की चौड़ाई भूमि उपलब्धता के आधार पर बढ़ाने का निदेश बिहार राज्य आवास बोर्ड को दिया गया।

(4) क्षेत्र भ्रमण के आधार पर यह बताया गया कि दीघा–आशियाना सड़क पर बंधन बैंक के बगल से गुजरने वाली सड़क का Right of Way फेज–IV तक करीब 30 से 40 फीट चौड़ी है। इस पर करीब 20 फीट चौड़ी पी.सी.सी. सड़क का निर्माण किया हुआ है। जमीन की उपलब्धता के आधार पर सड़क चौड़ी करने का निदेश नगर निगम, पटना को दिया गया। यह सड़क आगे फेज–IV से पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन तक मिल जाती है, जिसके चौड़ीकरण का निदेश कंडिका–(3) में वर्णित है।

(5) आशियाना–दीघा पथ पर कर्पूरी सदन के बगल से गुजरने वाली सड़क जो बिहार राज्य आवास बोर्ड के क्षेत्र से होकर गुजरती है, के निर्माण का निदेश बिहार राज्य आवास बोर्ड को दिया गया। बिहार राज्य आवास बोर्ड के क्षेत्र से आगे पाटलिपुत्र स्टेशन से जोड़ने वाली वर्त्तमान में निर्मित 10 से 12 फीट चौड़ी पी.सी.सी. सड़क के दोनों तरफ 2 से 3 फीट चौड़े Flank पर पी.सी.सी. रोड बनाकर इसके चौड़ीकरण के संभावना की सूचना प्राप्त हुई है। भूमि उपलब्धता के आधार पर सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने का निदेश पटना नगर निगम को निदेश दिया गया।

रेलवे लाईन के पूरब, पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से उत्तर की ओर रेलवे द्वारा सड़क का निर्माण अगर कराया जाता है तो उक्त पथ से स्टेशन की सीधी Connectivity हो सकती

है। इस सम्बन्ध में रेलवे से मंतव्य प्राप्त होने के उपरान्त इन क्षेत्रों के बीच में अवस्थित भूमि के अधिग्रहण अथवा अन्य विकल्पों यथा Area Development Scheme आदि का उच्चस्तरीय निर्णय लेने पर विचार किया जा सकता है। विचारण के क्रम में इस पथांश से सटे भू–भाग में बस स्टैण्ड के प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति से बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया।

(6) आशियाना–दीघा पथ से पाटलिपुत्र स्टेशन के उत्तरी भाग को घूड़दौड़ पथ द्वारा जोड़ने हेतु रेलवे स्टेशन से उत्तर की तरफ उनकी भूमि में सड़क निर्माण का अनुरोध प्रधान सचिव द्वारा रेलवे के अधिकारियों से किया गया। रेलवे के अधिकारियों के द्वारा रेलवे लाईन के पूरब एवं स्टेशन से सटे उत्तर अवस्थित भू–भाग का उपयोग एक अन्य रेलवे ट्रैक एवं Subsidiary Uses के लिए किए जाने के प्रस्ताव की जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त रेलवे के पास भूमि उपलब्ध नहीं है।

(7) भूमि की उपलब्धता हेतु जानकारी के क्रम में जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा बताया गया कि पूर्व में रेलवे को जमीन उपलब्ध करा दी गयी है। अब जल संसाधन विभाग के पास अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नहीं है।

(8) रेलवे लाईन एवं नहर के पश्चिम भाग पर बेली रोड से दीघा तक बिहार राज्य पथ निर्माण निगम के द्वारा 7.0 मीटर चौड़े सड़क के निर्माण की जानकारी पथ निर्माण विभाग के अभियंताओं द्वारा दी गयी। उक्त पथ में 7.0 मीटर चौड़ी Carriageway के अतिरिक्त Paved Shoulder एवं Earthen Shoulder का प्रावधान किया गया है। यह पथ अप्रैल, 2018 तक पूर्ण होने की सूचना दी गयी है। बैठक में इस सड़क से स्टेशन को जोड़ने पर विचार विमर्श किया गया। इस सड़क से स्टेशन तक अगर पहुँच पथ का निर्माण हो जाता है तो स्टेशन तक आवागमन सुगम हो जाएगा। नहर के उपर बन रहे Elevated Road के नीचे करीब 8 से 10 फीट की ऊँचाई का Space उपलब्ध होने की सूचना विचारण के क्रम में प्राप्त हुई। निर्माणाधीन उक्त Flyover एवं इसके नीचे बचे हुए Space को ध्यान में रखते हुए इस भाग से स्टेशन तक छोटे वाहनों अथवा पैदल यात्रियों के लिए पहुँच बनाने हेतु बिहार राज्य पथ निर्माण निगम से अनुरोध किया जाय। यह सबसे उपयुक्त समाधान प्रयुक्त होता है।

सधन्यवाद बैठक समाप्त हुआ।

16/3/2017

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11/न०वि०/न्या०–25/2016......186....../न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक–.16/03.2017

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ निर्माण निगम, पटना/महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर/जिलाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार, पटना/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन (TCPO), नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अग्रेत्तर कारवाई हेतु संदर्भित कंडिकाओं के आलोक में अपने मंतव्य/प्रस्ताव से शीघ्र अवगत कराने की कृपा करें।

16/3/2017

प्रधान सचिव।

CW.JC NO.-9494/2016 श्री भरत प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश के अनुपालन में पटना शहर अन्तर्गत पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को मुख्य पथों से जोड़ने के सम्बन्ध में आज दिनांक–15.03.2017 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय कक्ष में आहुत बैठक की उपस्थिति –

(1) प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग — 15/3/2017

(2) प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि — (अभियंता प्रमुख)

(3) प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि

(4) महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर अथवा उनके प्रतिनिधि

(5) जिलाधिकारी, पटना अथवा उनके प्रतिनिधि

(6) नगर आयुक्त, पटना नगर निगम — 15/3/17

(7) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड — 15.3.17

(8) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार, पटना — 15/3/17

(9) अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग

(10) मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, — 15.3.17

(11) नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दानापुर — Ravi Prakash 15.3.17 (J.E)

(12) सहायक निवेशक, नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन,

(13) सहायक निवेशक, नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन,

(14) अपर मंडल रेल प्रबंधक, दानापुर मंडल, पू.म.रे. — अतुल

(15) वरीय मंडल इंजीनियर

(16) दानापुर मंडल, पू. म. रे. — 492

17) विजय कुमार लाल, कार्यपालक अभियंता पटना नगर निगम — 15/3/17

18) [illegible], अधीक्षण अभि., [illegible], पटना

(19) [illegible] — 15/3/17

P.T.O.

(९२)

(20) मुख्य अभियंता (द०)
पथ निर्माण विभाग, पटना — 15-3-17

(21) कार्यपालक अभियंता
पो० ए० को० अंचल-3 (बिहार राज्य आवास बोर्ड) — Sanjay 15-3-17

(22) मुख्य अभियंता
(गंगा ब्रिज)
पूर्व-मध्य रेलवे,
पटना — 15.03.2017

23. धर्म प्रकाश
उप मुख्य अभियंता/नि/गंगा ब्रिज
पू.म.रे. — 15-3-17

24. Sachida Nand
(Architect)
Bihar State Housing Board. — S. Nand 15/3/17

25. Sanjay Kumar
E. E. Patna Div-3
Bihar State Housing Board — Sanjay 15/3/17

26 Rabindra Nath Sinha
EE. Planning & Monitoring Div-II
WRD, Patna — 15/3/17

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के निदेश के आलोक में बिहार राज्य आवास बोर्ड के कार्यपालक अभियंता, पटना प्रमण्डल–3, वास्तुविद्, अमीन के सहित नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन में पदस्थापित सहायक निवेशक का क्षेत्र भ्रमण का प्रतिवेदन –

कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पटना पश्चिम पथ प्रमण्डल के द्वारा पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के मुख्य पथों के जोड़ने के सम्बन्ध में वैकल्पिक पथों की जानकारी नक्शों के एक Layout के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। प्रधान सचिव द्वारा दिए गये निदेश के आलोक में उक्त का निरीक्षण बिहार राज्य आवास बोर्ड के Estate Officer, कार्यपालक अभियंता, पटना प्रमण्डल-III, आर्किटेक्ट, अमीन, नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन के कुमार सर्वानन्द, राकेश के साथ दिनांक–10.03.2017 को किया गया। निम्न विन्दु विचारणीय है –

(i) बेली रोड से स्टेशन के बीच जो Existing सड़क है, जिस पर दो मकान अवस्थित है, जो Existing सड़क का Bottleneck का कार्य कर रहा है। मकान के कुछ हिस्से को आवश्यकतानुसार भूमि अर्जित कर Bottleneck को दूर किया जा सकता है।

(ii) अशियाना–दीघा रोड के रामनगरी मोड़ से आशियाना फेज–4 तक सड़क की चौड़ाई 40 से 60 फीट है, जिस पर करीब 20 से 25 फीट चौड़े पी.सी.सी. सड़क निर्मित है। आशियाना फेज–4 से आगे पाटलिपुत्र स्टेशन तक सड़क की चौड़ाई कुछ जगहों पर 12 फीट, 16 फीट एवं 20 फीट है। आवश्यकतानुसार सड़क का चौड़ीकरण नगर निगम के द्वारा एवं बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा करने का निदेश दिया जाना है।

(iii) दीघा–आशियाना सड़क पर बंधन बैंक के बगल से रोड जाती है, जो फेज–IV तक करीब 30 से 40 फीट चौड़ी है। इस पर करीब 20 फीट चौड़ा पी.सी.सी. सड़क का निर्माण किया गया है। जमीन की उपलब्धता के आधार पर सड़क चौड़ा करने का निदेश नगर निगम, पटना को दिया जाना है। यह सड़क आगे फेज–IV से पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन तक मिल जाती है।

(iv) अशियाना दीघा रोड के कर्पूरी ठाकुर सदन के बगल से जो Housing Board का जमीन है एवं जो प्रस्तावित सड़क है, के अंश भाग (करीब 1.2 कि०मी० तक) में तत्काल 30 फीट तक चौड़ी सड़क का निर्माण कराया जाना एवं आगे एक निर्मित 10 से 12 फीट चौड़ी सड़क होते हुए पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन जाती है, को जोड़ना। इस 1.2 कि०मी० की सड़क का निर्माण बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा कराया जाना।

(v) दीघा–घोड़दौड़ रोड जो वर्तमान में 25 फीट से 28 फीट चौड़ी निर्मित है एवं रेलवे लाइन के किनारे तक जाती है। यदि पाटलिपुत्रा स्टेशन से दीघा जाने वाली रेलवे के जमीन पर यदि सड़क का निर्माण हो जाता है तब यह रास्ता आवागमन के लिए सुलभ हो जाएगा।

नवनीत कुमार 10/03/2017	Sachida Nand 10/3/17	10/3/17	10/3/17	10/3/17
अमीन, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना।	वास्तुविद्, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना।	कार्यपालक अभियंता, पटना प्रमण्डल–3, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना।	सहायक निवेशक, नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन, पटना।	विशेष कार्य पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग,

पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, टेलीफोन भवन के सामने, आर० ब्लॉक,पटना–800001

दूरभाष/फैक्स सं०–0612–2507971, Email. rcdpatwest@yahoo. in

पत्रांक :   दिनांक :

प्रेषक :

कार्यपालक अभियंता,
पटना पश्चिम पथ प्रमंडल,
पथ निर्माण विभाग, पटना।

सेवा में,

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

विषय : पाटलीपुत्रा स्टेशन को मुख्य पथों से जोड़ने के संबंध में।

प्रसंग : दिनांक – 28.02.2017 को अभियंता प्रमुख – बिहार पटना ~~मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (साउ) उपभाग~~ पथ निर्माण विभाग, पटना के द्वारा आयोजित बैठक में लिया गया निर्णय।

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक – 28.02.2017 को बैठक में निर्णय लिया गया कि पाटलीपुत्रा स्टेशन को मुख्य पथों से पाटलीपुत्रा स्टेशन को जोड़ने वाले वैकल्पिक पथों की जानकारी Layout Diagram के साथ उपलब्ध कराया जाये। उपरोक्त आदेश के आलोक में सूचित करना है कि वैकल्पिक पथ जो पाटलीपुत्रा स्टेशन को जोड़ते है निम्नवत है :

(1) बेली रोड से ROB Over Bridge के नीचे से पाटलीपुत्रा स्टेशन तक मुख्य पथ बना हुआ है, जो रेलवे द्वारा बनाया गया है। इसकी लंबाई 1.50 कि0मी0 एवं चौड़ाई 7.00 मी0 है। 700 मी0 एवं 900 मी0 पर दो घर बने हुए है, जहाँ पथ की चौड़ाई केवल 5.5 मी0 है। यदि उन्हें हटा दिया जाए तो रेलवे Over Bridge से पाटलीपुत्रा स्टेशन तक 4लेन पथ का निर्माण किया जा सकता है। उक्त जमीन रेलवे का है।

(2) रेलवे स्टेशन से दिघा थाना तक रेलवे लाईन के किनारे–किनारे रेलवे का जमीन है, जिसकी लंबाई 3.00 कि0मी0 एवं चौड़ाई 24 मी0 से 45 मी0 तक है। इसमें 4लेन सड़क बनाई जा सकती है। इसके बन जाने से बेली रोड से बॉकीपुर–दानापुर पथ को पाटलीपुत्रा स्टेशन होते हुए 4लेन बनाया जा सकता है।

(3) आशियाना दिघा पथ के रामनगरी मोड़ से आशियाना नगर फेज 4 होते हुए पाटलीपुत्रा स्टेशन तक सड़क बनाई जा सकती है। जिसकी लंबाई 2.5 कि0मी0 है। 1.2 कि0मी0 तक पथ 60 फीट एवं शेष 1.3 कि0मी0 तक पथ 20 से 25 फिट चौड़ी है। यह पथ पटन नगर निगम पटना का है।

(4) आशियाना दिघा पथ के बंधन बैंक से आशियाना नगर फेज 4 से भी क्रमांक 3 के पथ को जोड़ा जा सकता है। जिसकी लंबाई 1.00 कि0मी0 एवं चौड़ाई 40 फीट है। उक्त पथ भी पटना नगर निगम का है।

(5) आशियाना दिघा पथ के करपुरी ठाकुर सदन से पाटलीपुत्रा स्टेशन को जोड़ा जा सकता है। इसकी लंबाई 2.50 कि0मी0 है, जिसमें 1.2 कि0मी0 पथ की चौड़ाई 90 फिट एवं 1.3 कि0मी0 पथ की चौड़ाई 22 फिट से 25 फिट है। उक्त पथ हॉसींग बोर्ड का है। इसे भी पाटलीपुत्रा स्टेशन से जोड़ा जा सकता है।

(6) आशियाना दिघा पथ के पॉलसन डेयरी से प्रारंभ होकर घोरदौड़ रोड होते हुए क्रमांक 2 के पथ में मिलता है। यह पथ पथ निर्माण विभाग का है। यदि रेलवे द्वारा पाटलीपुत्रा स्टेशन से दिघा थाना तक 3.00 कि0मी0 का पथ बनाया जाता है, तो घोरदौड़ रोड अपने आप इस रोड में मिल जाएगा, एवं पाटलीपुत्रा स्टेशन जाया जा सकता है। पॉलसन डेयरी पथ होते हुए घोरदौड़ पथ की चौड़ाई 7.00 मी0 है।

सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन,

अनु0 – Layout Diagram

कार्यपालक अभियंता,
पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना।

ज्ञापांक – 7/6 3730 दिनांक – 01.03.17

प्रतिलिपि – विशेष पदाधिकारी (यातायात), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ समर्पित

अनु0 – यथोक्त।

कार्यपालक अभियंता,
पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना।

1/3/17

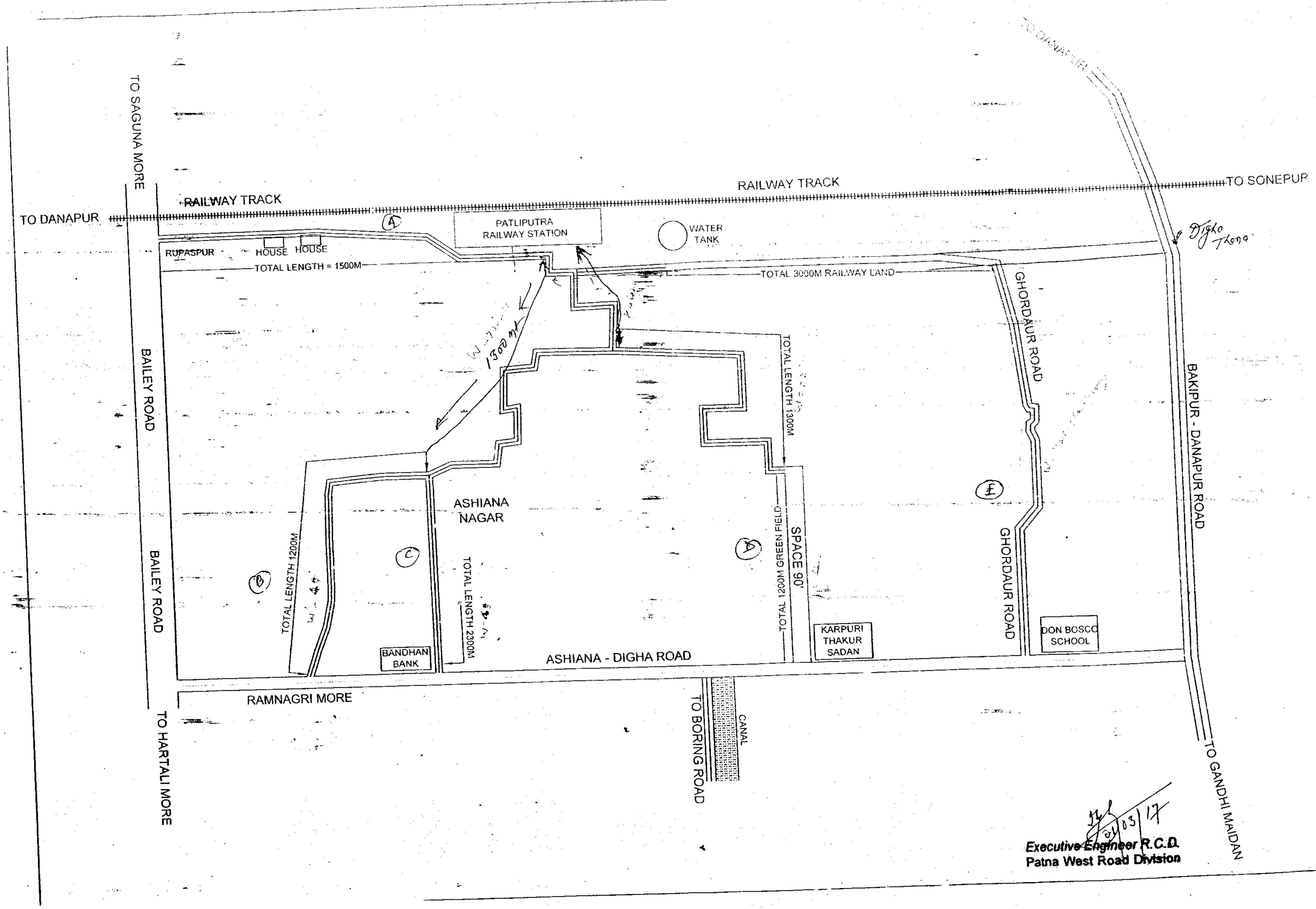

21/03/17
Executive Engineer R.C.D.
Patna West Road Division